रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1970/श्रावण 15, 1892
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1970/SRAVANA 15 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th August 1970

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters—Procedure for claiming replenishment under (Amendment No. 24.)*

No. 117. ITC (PN)/70.—Attention is invited to paragraph 114(3)(1) of Chapter V of the ITC Hand Book of Rules and Procedure, 1970, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70, dated 4-5-1970, where various documents which have to be submitted along with applications for replenishment against the sales of handicraft items to foreign tourists have been listed.

The following shall be added after the words "foreign banks", in the 5th line of clause (c) of sub-para (i) of the above referred para.—

"foreign currency notes and coins, provided the seller of the handicraft items possessed an authorised money-changer's licence from the R.B.I."

2. Attention is further invited to para 117(i) of the above-referred Hand Book which lays down the procedure for claiming replenishment against sales to foreign tourists of gem and jewellery items. The last sentence of the said para which reads as "Foreign currency received in cash will not be recognised for these purposes", shall be deleted.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1970

विषय :—पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति –पुर्नपूर्ति के अन्तर्गत मांग के लिए विधि (संशोधन संख्या 24) ।

सं० 117-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 —विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 66–आई० टी सी (पी० एन०)/70 दिनांक 4–5–1970 के अन्तर्गत प्रकाशित नियम और कार्यविधि, 1970 के आई० टी० सी० हैंड बुक के अध्याय 5 के पारा 114(3)(आई) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें विदेशी पर्यटकों को दस्तकारी मदों की बिक्री के लिए पुर्नपूर्ति के लिए आवेदन-पत्रों के साथ जमा किए जाने वाले विभिन्न प्रलेखों की सूची दी गई है ।

ऊपर उल्लिखित पारा के उप-पारा (i) के खंड की पंक्ति 5 में "विदेशी बैंकों" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के, बशर्तेकि दस्तकारी मदों के विक्रेता के पास आर० बी० आई० से प्राप्त प्राधिकृत मुद्रा-विनिमय का लाइसस हो" ।

2. आगे ऊपर उल्लिखित हैंड बुक के पारा 117 (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी पर्यटकों को रत्न और जवाहिरात की बिक्री के लिए पुर्नपूर्ति की मांग करने के सम्बन्ध में विधि निर्धारित करता है । उक्त पारा का अन्तिम वाक्य जिसे "विदेशी मुद्रा जो नकद प्राप्त की गई है, इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं होगी", ऐसा पढा जाता है, उसे निकाल दिया जाएगा ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970